फर्द अहकाम

नाम न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:– 13/2025 अपील

तेजस्वी सास्वत बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लसाडिया

क्र. स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/10/26	पत्रावली पेश हुई। वादी प्रार्थिनी उप० प्रतिवादी के विरुद्ध अर्थदण्ड प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अपील में मानी जाती है। वादी प्रार्थिनी ने अपने दावे में बताया कि विक्रय पत्र की नकल पंचायत ने विक्रय पत्र को बिना किसी सक्षम न्यायिक प्राधिकार के दिया जो अनुचित है। नामान्तकरण की अवलोकन किया गया। नामा० सं० 2563 विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज किया गया। जिसे बिना किसी कारण स्पष्ट किए पंचायत द्वारा खारिज किया गया है। यह तथ्य दर्शाता उचित प्रतीत नहीं है अतः नामा० सं० 2563 पर किया गया निर्णय खारिज किया जाता है। एवं नामान्तरण तहसीलदार फागी को पुनः नियमानुसार पक्षकारान को सुनकर निष्पक्ष निर्णय करने हेतु प्रेषित करते हैं। निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जाता है। निर्णय अपने कक्ष न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली नस्ती हो तब हो।

6/10/26

उपखण्ड अधिकारी
फागी